<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 886 / 14

संस्थापन दिनांक : 09.10.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र. — अभियोजन

बनाम

1-रामप्रकाश चौधरी पुत्र रामरूप चौधरी उम्र 45 वर्ष 2-विजेन्द्र चौधरी पुत्र रामनिवास चौधरी उम्र 25 वर्ष 3-गजेन्द्र चौधरी पुत्र रामनिवास चौधरी उम्र 28 वर्ष 4-सोनू चौधरी पुत्र रामप्रकाश चौधरी उम्र 19 वर्ष निवासीगण ग्राम छरेटा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

– अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक......को घोषित)

- 1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 294, 323/34, 451, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विकल्प में विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स.के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 4–10–14 को 8:30 बजे ग्राम छरेटा फरियादी राधाबाई अ0सा01 का मकान एण्डोरी जिला भिण्ड पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मोनिका अ0सा02 की काटने के उपकरण से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.10.14 को 08:30 बजे फरियादिया राधाबाई अ0सा01 अपने घर के अंदर थी उसी समय गांव के गजेन्द्र, बृजेन्द्र प्रकाश, सोनू घर में घुस आये और बोले कि तिली काटने के लिए चल उसने तिली काटने के लिए जाने से मना किया तो चारों आरोपी उसे मां—बहन की गन्दी—गन्दी गालियां देने लगे जब उसने गाली देने से मना किया तो चारों आरोपीगण ने उसकी मारपीट की जब उसकी लड़की मोनिका अ0सा02 उसे बचाने आई तो बृजेन्द्र ने उसे धक्का दे दिया जिससे मोनिका के दाहिने हाथ में

चोट आई तब तक उसके पित निरपत अ०सा०३ आ गये और आरोपीगण से कहा कि घर में क्यों घुस आये तो चारों आरोपीगण ने निरपत की भी थप्पड़ों से मारपीट की। मारपीट में उसके दाहिने हाथ की कलाई में तथा निरपत एवं मोनिका के चोटें आईं थी। शोरगुल सुनकर उसके ससुर रतीराम एवं पड़ौसी रामौतार आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया। जाते समय आरोपीगण कह रहे थे कि आज तो बच गई आइन्दा जान से खतम कर देंगें। तत्पश्चात फरियादी राधाबाई अ०सा०१ ने थाना एण्डोरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर थाना एण्डोरी में अप०क० 76/14 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेत् न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- अारोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 4—10—14 को 8:30 बजे ग्राम छरेटा फरियादी राधाबाई अ०सा०1 का मकान एण्डोरी जिला भिण्ड पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मोनिका अ०सा०2 की काटने के उपकरण से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

- फरियादी राधा अ०सा०१ ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व तिल काटने की बात पर आरोपीगण से झगड़ा और मुंहवाद हो गया था। उसके साथ मोनिका अ०सा०२ भी थी परन्तु उसके साथ कुछ नहीं हुआ। उसके ससुर के आने के बाद उसने एफ.आई.आर. प्र०पी—१ की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शामौका प्र०पी—2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने मोनिका अ०सा०२ की दिनांक ०४.१०.१४ को मारपीट की थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी—3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- मोनिका अ०सा०२ ने भी कथन किया है कि तिली काटने की बात पर आरोपीगण का उसकी मां से झगड़ा हुआ था परन्तु उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 04.10.14 को आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी—4 में भी दिए जाने से इंकार किया है। निरपत अ०सा०३ ने भी कथन किया है कि मोनिका अ०सा०२ उसकी पुत्री है परन्तु अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने मोनिका की मारपीट की थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी—5 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

- 7. अतः स्वयं आहत मोनिका अ०सा०२ और उसकी माता फरियादी राधा अ०सा०१ व आहत पिता निरपत अ०सा०३ ने स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपीगण ने मोनिका अ०सा०२ की मारपीट की थी। उक्त तीनों साक्षीगण आहत साक्षी होकर महत्वपूर्ण साक्षी हैं। परन्तु उनके द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में विचारणीय प्रश्न पर अभियोजन मामले का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अन्य साक्ष्य के अभाव में अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 4–10–14 को 8:30 बजे ग्राम छरेटा फरियादी राधाबाई का मकान एण्डोरी जिला भिण्ड पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मोनिका अ०सा०२ की काटने के उपकरण से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 8. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324 / 34 भा.द.स.के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 9. 🖊 अारोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक/

सही / – (गोपेश गर्ग) Hus

Althory

Althory न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र०